परियोजना का नाम :– प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–XI के अर्न्तगत नगॉण गांव से कुर्सिल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा सकता हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या : 1880/पी3–19/यू0आर0आर0डी0ए0/11 दिनाक 23/12/2011उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के फेज –XI के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट स्यलव , कुर्सिल की कुल आवादी 949 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित नूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्वध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 7.885 है0, सिविल सोयम भूमि 0.616 है0, वन पंचायत भूमि 0.000 है0 के अतिरिक्त आरक्षित वन भूमि 0.513 है0 प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

<u>संरेखण नं0 1</u> :– जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार इस मोटर मार्ग का संरेखण स्थल जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खरादी से नगॉणगाव मोटर मार्ग के कि0मी0 4.575 से प्रारम्भ होता है। इस संरेखण में 8 हेयर पिन बैंड प्रस्तावित है। इस संरेखण में नाप भूमि सिविल सोयम भूमि एव आरक्षित वन भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष कम प्रभावित होते है तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस के अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

<u>संरेखण नं0 2</u> :– जो हरे रंग से दर्शाया गया है, इस समरेखण में कमशः +1:17, +1:18, +1:40, +1:40, +1:18 के ग्रेड दिये गये है। समरेखण में एक माईनर ब्रिज 18 मी0 स्पान का प्रस्तावित है। समरेखण की लम्बाई 12 किमी० एवं 12 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित है। सनरेखण–2 की लम्बाई अधिक एवं अधिक संख्या के हेयर पिन बैण्ड होने के कारण गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि को यह समरेखण मान्य नही है लम्बाई अधिक होने के कारण वृक्षो की अधिक संख्या आती है । अतः इस संरेखन पर मार्ग निर्माण किया जाना उचित नही है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं0 2 को निरस्त कर संरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 10.375 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम भूमि 0.616 एव आरक्षित वन भूमि 0.513 है0 प्रभावित हो रही प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः उक्त अनुसार इस मार्ग के निर्माण में प्रभावित वनभूमि प्रस्ताव 1.129 है0 स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं वन भूमि स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

कनिष्ट अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
(पुरोला) उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी